CGHS कार्ड आधार लिंक बिना लिंक के चल रहे सरकारी हेल्थ कार्ड

विषय सूची (Table of Contents):

>> सीजीएचएस (CGHS) और आधार लिंकिंग सरकारी आदेश का जमीनी सच...
>> सरकारी बाबुओं की आनाकानी आधार से दूरी बनाने के पीछे की मंशा...
>> सिस्टम की खामी बिना लिंक हुए धड़ल्ले से चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड...
>> आधार लिंक न होने से स्वास्थ्य योजना में फर्जीवाड़े की आशंका...
>> स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख नई डेडलाइन और कार्रवाई की चेतावनी...
>> डिजिटल एकीकरण का भविष्य आभा (ABHA) आईडी से जुड़ने के दूरगामी प्रभाव...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न...

नई दिल्ली:आम नागरिक को सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत हर कदम पर पड़ती है। वर्तमान में देश की 3,100 से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं और करीब 360 सरकारी सेवाओं में आधार से पहचान अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन, जब बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की आती है, तो उनके अपने हेल्थ कार्ड (CGHS) पर यह नियम पूरी तरह लागू होता नहीं दिखता।abplive.comकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई पुराने CGHS कार्ड अब भी बिना आधार लिंकिंग के बेरोकटोक चल रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे की असल वजह क्या है।

सीजीएचएस (CGHS) और आधार लिंकिंग: सरकारी आदेश का जमीनी सच

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत लाभार्थियों के हेल्थ कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था कई बार लागू करने की कोशिश की गई है। सरकार ने जून 2015 से लेकर अब तक कई बार ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी किए, लेकिन हर बार मामला आगे बढ़ने के बजाय अंदरूनी दबाव या किसी अन्य कारण से रोक दिया गया। आम जनता के लिए आधार हर जगह जरूरी है, यदि आप भी अपने आधार से जुड़ी जानकारी सही रखना चाहते हैं, तोआधार कार्ड अपडेट हुआ आसान! देखें नई डॉक्यूमेंट लिस्टको जरूर देखें।

सरकारी बाबुओं की आनाकानी: आधार से दूरी बनाने के पीछे की मंशा

जब भी लिंकिंग की बात आती है, तो अधिकारियों की तरफ से अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि CGHS कोई सामान्य कल्याण (Welfare) योजना नहीं है। उनके अनुसार, यह कर्मचारियों के स्वयं के योगदान वाली स्वास्थ्य व्यवस्था है। हालांकि, सरकारी रिकॉर्ड और आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सच यह है कि CGHS के कुल खर्च का करीब90% हिस्सा भारत सरकार के खजानेसे आता है, जबकि कर्मचारियों का योगदान इसके मुकाबले काफी कम है।

सिस्टम की खामी: बिना लिंक हुए धड़ल्ले से चल रहे पुराने हेल्थ

सिस्टम के कंप्यूटरीकरण के शुरुआती दौर यानी साल 2005 में बनाए गए कई पेंशनर कार्ड अब भी सिस्टम में सक्रिय हैं। सबसे बड़ी खामी यह है कि CGHS में पेंशनर्स और उनके साथ रहने वाले आश्रित परिवार के सदस्यों की हर साल नियमित पहचान या जीवन प्रमाण की जांच नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर, एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) और रेलवे हेल्थ स्कीम जैसी दूसरी बड़ी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आधार लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य किया जा चुका है।

आधार लिंक न होने से स्वास्थ्य योजना में फर्जीवाड़े की आशंका

सालाना जांच और आधार लिंकिंग न होने के कारण एक बड़ा खतरा फर्जीवाड़े का है। ऐसे में मृत या योजना के लिए अयोग्य हो चुके लोगों के नाम सिस्टम से हटाने में काफी परेशानी होती है। यदि इन पुराने कार्ड्स का गलत इस्तेमाल होता है, तो सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ता है। वर्तमान में CGHS में हर व्यक्ति पर होने वाला खर्च ECHS और रेलवे स्वास्थ्य योजनाओं की तुलना में ज्यादा है। अगर पुराने और अयोग्य अकाउंट्स की ठीक से जांच की जाए, तो इस खर्च के अंतर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख: नई डेडलाइन और कार्रवाई की चेतावनी

सरकार लिंकिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जुलाई 2024 में एक आदेश जारी किया गया था। उस समय निर्देश दिया गया था कि CGHS का फायदा लेने वाले हर व्यक्ति की आईडी को आधार के जरिए बनाए गए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ा जाए। हालांकि, पिछली बार की तरह ही इस बार भी आदेश जारी होने के कुछ समय बाद, इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया। आधार को वित्तीय व अन्य सरकारी लाभों से जोड़ने की अहमियत समझने के लिए आपआधार-बैंक लिंक नहीं किया? रुक जाएगा आपका सरकारी पैसा!पढ़ सकते हैं।

डिजिटल एकीकरण का भविष्य: आभा (ABHA) आईडी से जुड़ने के दूरगाम

CGHS का लाभ मौजूदा और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा, उनके परिवार, वर्तमान और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जज, तथा दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलता है। अगर भविष्य में सरकार इन सभी लाभार्थियों के कार्ड को आभा (ABHA) आईडी से जोड़ने में सफल रहती है, तो इससे पूरी स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। इससे न केवल फर्जी कार्ड धारकों पर लगाम लगेगी, बल्कि असली लाभार्थियों को सुचारू रूप से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CGHS का फायदा मौजूदा और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी, उनके परिवार, वर्तमान और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, और दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलता है।

जुलाई 2024 में सरकार ने इसे आभा (ABHA) और आधार से जोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में इसे अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है।

एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) और रेलवे हेल्थ स्कीम जैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आधार से पहचान लिंक करना अनिवार्य किया जा चुका है।

सालाना जांच न होने के कारण मृत या अयोग्य लोगों के नाम कार्ड से हटाने में परेशानी होती है, जिससे सरकारी योजना में फर्ज़ीवाड़े और खजाने पर अतिरिक्त बोझ का खतरा रहता है।